पत्र क्रमांक 9197-स0क0-1-73/22567-670

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
समाज कल्याण विभाग ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (ना0) ।

2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा, चण्डीगढ़ और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 18 दिसम्बर, 1973 ।

विषय :--अनुसूचित जाति तथा पिछड़ वर्ग के लिए पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 6076-स0क0-1-72/15594-693, दिनांक 15 सितम्बर, 1972 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और कहूं कि इस मामले की जांच की है तथा यह निर्णय लिया गया है कि जो अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी हरियाणा सरकार की सेवा में है उन्हें भी बोनाफाईड रैसीडैण्डस आफ हरियाणा (bonafide residents of Haryana) माना जाना चाहिए और उन्हें तथा उनके बच्चों को इन वर्गों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए ।

भवदीय,
सुशील जैन
उप-सचिव,
कृते: आयुक्त एव सचिव, हरियाणा सरकार,
समाज कल्याण विभाग ।

क्रमांक 9197-स0 क0-1-73/2267

दिनांक चण्डीगढ़ 18-12-1973